

फर्द अहकाम  
(नियम 26)  
बनाम

वादीगण

किस्तुरा पुत्र जैसाराम वगैरा  
जाति मेगवाल  
निवासी कितपाला  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

प्रतिवादीगण

चतराराम पुत्र वरदाराम वगैरा  
जाति मेगवाल.  
निवासी अंझाणियों की ढाणी, कितपाला  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

मुकदमा संख्या 19/2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--------------------------------	---

29.01.2024 यह राजस्व वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो वादीगण का राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण वहन करेगी। वकील वादीगण को प्रतिवादीगण के सम्मन की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 16.2.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

07.2.2024 पत्रावली वकील वादीगण के द्वारा  
उपर पर लखन की गई। वकील वादीगण  
अपस्थित। वकील वादीगण ने निवेदन  
किया, कि इन्तर्गत उक्त धारा के वादीगण  
आगे आरेख नहीं चाहते हैं। जो वादीगण  
का वाद शकिय करमादा जावे। उक्त  
पत्र पर इन्तर्गत/ अंतर्गत निवासी श्री लखन  
वकील वादीगण श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा की  
गई। वकील वादीगण को सुनी गी

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की पक्ष में  
वाद पत्र नहीं  
चलाया गरी  
चाहता हूँ।


धर्मशाला

गुधारा

सहायक कलक्टर  
बालोतरा

पत्रावली का इतलोकन करने पर पाजा की वकील  
वादीगण रंगत हलगत एकल में कारकई नही  
माहते हैं। ऐकी रररत में एकल को शक्य  
पेशी लारील पर सिद्रा जाता है। लररर एकल  
को आगे चलाने का डौपील उतीत नही होता  
है। सिद्राया वादीगण का वाद डली हलगत पर  
रकारिज कीद्रा जाता है।

पत्रावली नं ५१५३ २३/१२ २०१२ दिवस  
कलकटर हो।

  
सहायक कलकटर  
(S.D.O.) बालोतरा